

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 333/2022 (धारा 14 सिक्वोरिटार्डिजेशन)

महिन्द्रा रूरल हाऊसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, शाखा कार्यालय तृतीय तल, प्लॉट नं. 46-47, श्रीनाथ टॉवर,  
कोस्मो कॉलोनी, आग्रपाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री संजय सोनवा पुत्र श्री श्याम बाबू सोनवा,  
पता :- प्लॉट नं. 75, श्री गोविन्द वाटिका, खसरा सं. 2093, रकबा 0.03 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या  
2094 रकबा 1.71 हैक्टेयर, कल्याणगंज, वस्सी, जिला जयपुर।  
एवं 4084-बी, नाहरगढ़ रोड़, नाहरगढ़ थाने के पास, जयपुर।
2. श्री श्यामबाबू सोनवा पुत्र श्री बद्रीनारायण,
3. श्रीमती सुनीता सोनवा पत्नी श्री संजय सोनवा,  
पता :- 4084-बी, नाहरगढ़ रोड़, नाहरगढ़ थाने के पास, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation  
and Reconstruction of Financial Assets and  
Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थित :-

1. श्री विक्रम सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 16.08.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु दिनांक 09.06.2017 को जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री संजय सोनवा के स्वामित्व की आवासीय संपत्ति प्लॉट नं. 75, योजना श्री गोविन्द वाटिका, खसरा सं. 2093, रकबा 0.03 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 2094 रकबा 1.71 हैक्टेयर, कल्याणगंज, वस्सी, जिला जयपुर में से क्षेत्रफल 90 वर्गगज को बन्धक रख कर राशि 06,10,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 01.03.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

3. प्राणी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 10 दिसम्बर 2015 को सरकारी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राणी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 06,10,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रविण्वि जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्राणी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए धोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 06,01,857/- रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 01/03/2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बंधक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
5. अतः 'The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्राणी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री संजय सोनवा के स्वामित्व की आवासीय संपत्ति प्लॉट नं. 75, योजना श्री गोविन्द वाटिका, खसरा सं. 2093, रकबा 0.03 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 2094 रकबा 1.71 हैक्टेयर, कल्याणगंज, बरसी, जिला जयपुर में से क्षेत्रफल 90 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्राणी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राणी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्दिष्ट करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल



7. आदेश आज दिनांक 16.08.2022 को सरे इजलारा सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलेक्टर) जयपुर